न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

वाद सं०–एम०पी० 57/2019 धारा–145 द०प्र०सं०

दिगम्वर महतो वगैरह..प्रथम पक्ष

बनाम

बरजु अहीर ....द्वितीय पक्ष

	आदेश
22/09/2020	प्रस्तुत वाद आवेदक के द्वारा आवेदन दिया गया है कि विवादित जमीन को लेकर उभय पक्ष में दखल–कब्जा को लेकर शांति भंग होने की संभांवना को देखते हुए विवादित भूमि पर द० प्र० सं० की धारा–145 के तहत द्वितीय पक्षों के विरूद्व कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु अनुरोध किया गया।
	उभय पक्षों को अपना–अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

विवादित भूमि विवरणी

मौजा–लोटेहातु, थाना–बुण्डू , थाना संख्या–60

खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	चौहदी
10	620	0.50 ए०	उ0–फागु अहरी द0–सोनाराम पहान पू0–राम अहीर प0–नारायण अहीर
	620	0.24 ए०	उ0–फागु अहरी द0–डोमन अहीर पू0–नीज (वेन्डर) प0–नीज (वेन्डर)

प्रथम पक्ष

प्रथम पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा निम्न उल्लेख किये है:–

1. यह है कि वर्णित भूमि मौजा–लोटेहातु, थाना–बुण्डू, थाना संख्या'–60 के खाता संख्या–10, प्लॉट संख्या–620, रकवा–79 डीसमील मध्ये 50 डीसमील जमीन को प्रथम पक्ष के माता केशोवती देवी ने नारायण अहीर पिता–स्व० चामु अहीर, बिरसा अहीर पिता–स्व० चरकु अहीर एवं बिशु अहीर वो बिष्टु अहीर पिता–चरकु अहीर से रजिस्ट्री पट्टा द्वारा सन् 20/09/1969 ई० को प्राप्त किये है। जिसका पट्टा संख्या–5399 एवं कम संख्या–8838 है।

2. यह है कि प्रथम पक्ष के पिता झरिया महतो पिता–स्व० थुसुरू महतो ने मौजा–लोटेहातु, थाना–बुण्डू, थाना संख्या'–60 के खाता संख्या–10, प्लॉट संख्या–620, रकवा–79 डीसमील मध्ये 24 डीसमील जमीन को नारायण अहीर वो बिशु अहीर वो बिष्टु अहीर से रजिस्ट्री पट्टा द्वारा सन् 15/02/1970 ई० को प्राप्त किये है। जिसका पट्टा संख्या–2235 एवं कम संख्या–2037 है। कय करने के बाद दखलकार हुए एवं अंचल कार्यालय में संयुक्त रूप से दाखिल–खारिज कराकर सरकार को मालगुजारी देते आ रहे है। विवादित जमीन पर द्वितीय पक्ष का किसी प्रकार का हक एवं दावा नहीं बनता है। विवादित जमीन पर प्रथम पक्ष का शांति पूर्वक दखल चला आ रहा है। उन्होने दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–145 के तहत कार्यवाही प्रारंभ करते हुए द्वितीय पक्ष को विवादित जमीन पर जाने से रोक लगाते हुए प्रथम पक्ष के हित में दखल–कब्जा घोषित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

22/09/2020 द्वितीय पक्ष

द्वितीय पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा निम्न उल्लेख किये है:–

1. यह है कि द्वितीय पक्ष के पिता हरिपदो अहीर पिता–दलु अहीर ने मौजा–लोटेहातु, थाना–बुण्डू, थाना संख्या'–60 के खाता संख्या–10, प्लॉट संख्या–620, रकवा–79 डीसमील (चौहदी, उतर–परती नीज, दक्षिण–दोन नीज) जमीन को नारायण अहीर पिता–स्व० चामु अहीर वो बिरसा अहीर वो बिशु अहीर वो जुवेनाईल बिष्टु अहीर पिता–चरकु अहीर से रजिस्ट्री पट्टा द्वारा सन् 07/02/1970 ई० को प्राप्त किये है। जिसका डीड संख्या–1794 बुक संख्या–1, भोलूम संख्या–18, पेज संख्या–532 से 534 वर्ष 1970 है। प्राप्त करने के पश्चात दखलकार हुए एवं अंचल कार्यालय में दाखिल–खारिज कराकर सरकार को लगातार मालगुजारी देते आ रहे है।

2. यह है कि प्रथम पक्ष विवादित जमीन का अलग–अलग चौहदी दी गई, जो की जमीन के बारे में जानकारी नहीं है।

3. यह है कि दोनों पक्षों के बीच दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–107 के तहत चल रहा है। जिसमें बिरजु अहीर प्रथम पक्षकार है।

4. यह है कि धारा–145 के तहत इस वाद में प्रथम पक्ष के द्वारा आरोप लगाया गया है कि द्वितीय पक्ष के जबरजस्ती कब्जा करना चाहते है, यह सरासर झुठा है। विवादित जमीन पर प्रथम पक्ष का किसी प्रकार का दावा नहीं बनता है। उन्होने दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–145 के तहत कार्यवाही प्रारंभ करते हुए प्रथम पक्ष को विवादित जमीन पर जाने से रोक लगाते हुए द्वितीय पक्ष के हित में दखल–कब्जा घोषित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

आदेश

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने एवं प्रथम पक्ष द्वारा दाखिल किये गये कागजातों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विवादित जमीन को दोनों ही पक्ष अपने–अपने कागजातों के आधार पर दावा कर रहे है। उभय पक्ष में विवादित जमीन पर स्वत्व को लेकर विवाद प्रतीत होता है। यह न्यायालय कागजातों की पुष्टि हेतु सक्षम न्यायालय नहीं है। वाद में दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–145 के तहत कार्यवाही प्रारंभ कर आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वाद को निरस्त किया जाता है। आहत पक्षकार स्वत्व हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते है। इसी निरूपण के साथ अभिलेख की कार्यवाही को बंद की जाती है।

लेखापित, एवं संशोधित

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बुण्डू(राँची)

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बुण्डू(राँची)

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2023.03.18 12:08:56 +05:30
Location: 10.93.79.10